(32)

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

2019/00132

अदालत अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

प्रभूदयाल बनाम श्रीमति छगनी

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 24/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/19	प्रस्तुतकर्ता श्री प्रभूदयाल जांगिड अपीलार्थी नं. 1 स्वंय उप०। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस स्ट्ड. दिनांक 28/11/19 को पेश हो। सि॰ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
28/11/19	पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 5/12/19 को पेश हो।	
5/12/19	प्रस्तुतकर्ता श्री प्रभूदयाल जांगिड अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी व वकील अपीलार्थी को कई बार आवाज लगवाई गई। अन्तिम आवाज 4.00 P.M. पर लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं आया। अतः यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। सि॰ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	

14/111.

सेवामें,

न्यायालय अति0 सम्भागीय आयुक्त (कैम्प कोर्ट) अलवर राज0

अपील सं0 ....24/...2019

1– प्रभूदयाल पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद जाति जागिड उम्र लगभग 68 वर्ष निवासी थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर हाल निवासी 1/255 काला कुंआ अरावली विहार शहर व जिला अलवर राज0

2– सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद जाति जागिड निवासी थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर ... अपीलांटान

बनाम

1– श्रीमति छगनी पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति जागिड निवासी ग्राम नया गांव माचाडी तहसील रेणी जिला अलवर राज0

2– श्रीमति मगनी पत्नि स्व0 श्री बाबूलाल निवासी ग्राम बाजोली तहसील रेणी जिला अलवर राज0

3– तहसीलदार राजगढ कार्यालय तहसील राजगढ लैण्ड होल्डर ... असल रेस्पोडेन्ट

4– लक्ष्मीनारायण

5– राजेश पुत्रान स्व0 श्री गिर्राज प्रसाद जाति जागिड निवासी थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर ..तरतीबी रेस्पोडेन्ट

<u>अपील बनाराजी तजबीज दिनांक 4.10.2019 न्यायालय तहसीलदार राजगढ जिला अलवर जिनके द्वारा तथ्य व विधि विरूद्व मु0 न0 16/15 मे अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तकरण अस्वीकार किया गया, साभिप्राय खण्डित किये जाने उपरोक्त तजबीज बाद स्वीकार किये जाने अपील व दर्ज किये जाने नामान्तकरण मुताबिक वसीयत</u>

श्रीमान,

उज्रात अपील निम्नांकित निवेदन है :-

1- यहकि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है ।

2- यहकि राजस्व अपील पर न्यायालय शुल्क 2/-रूपये चस्पा है ।

3- यहकि तजबीज दिनांक 4.10.2019 से वर्तमान अपील मामूलन अन्दर अवधि है ।

4- यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस मेनर ओफ एपरोच से निर्णय पारित किया है वो न्याय के सर्वमान्य सिद्वान्तो के प्रतिकूल है ।